पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.-1634

दिनांक-10.07.2025

जोन- दक्षिणी/थाना- बंथरा

- **थाना बंथरा पुलिस द्वारा गैंगेस्टर एक्ट में वांछित 01 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-कार्यवाही-

दिनांक 20.06.2025 को राज्य द्वारावादी राणा राजेश कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक बन्थरा लखनऊ के द्वारा प्रस्तावित गैंगचार्ट के अनुमोदनोपरान्त थाना बन्थरा पर मु0अ0सं0 231/2025 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम में वांछित अभियुक्त / गैंग सदस्य नवीन राजपूत पुत्र स्व0कमलेश कुमार निवासी मुजफ्फरनगर चौधरी बेहा थाना काकोरी लखनऊ को थाना बन्थरा की गठित पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 10.07.2025 को गिरफ्तार कर लिया गया । अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में जिला कारागार भेजा जा रहा है।

02-संक्षिप्त विवरण –

प्रभारी निरीक्षकबन्थरा, राणा राजेश कुमार सिंह द्वारा श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय लखनऊ को प्रेषित गैंग चार्ट, गैंग लीडर अमित वर्मा पुत्र स्व0 राकेश वर्मा निवासी 351के/17 दरियापुर थाना बाजारखाला लखनऊ आदि 06 नफर का श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित गैंग चार्ट दिनांकित 17/06/25 को थाना बंथरा कार्यालय से प्राप्त होने पर जाँच की गयी तो पाया गया कि गैंग लीडर अमित वर्मा उपरोक्त का एक संगठित अपराधिक गिरोह है। जिसका सरगना अमित वर्मा पुत्र स्व. राकेश वर्मा निवासी 351 के 17 दरियापुर थाना बाजारखाला लखनऊ उम्र 27 वर्ष है, जो एक शातिर किस्म का अपराधी है और अपने गैंग के सदस्यों राजेन्द्र रावत पुत्र स्व. अमरू रावत निवासी दरियापुर थाना बाजार खाला लखनऊ उम्र 40 वर्ष (गैंग सदस्य), गोविन्द कुमार रावत पुत्र रामकुमार रावत निवासी अशोक नगर काला पहाड बाता ठाकुरगंज लखनऊ उम्र 22 वर्ष (गैंग सदस्य), सुभाष कुमार रावत पुत्र रामकुमार रावत निवासी 351/37 घ निवासी दरियापुर थाना बाजारखाला लखनऊ उम्र 23 वर्ष (गैंग सदस्य), नवीन राजपूत पुत्र स्व कमलेश कुमार निवासी मुजफ्फरनगर चौधरी बेहा थाना काकोरी लखनऊ उम्र 25 वर्ष (गैंग सदस्य), काशी उर्फ उमेश पुत्र स्व मुन्नीलाल रावत निवासी दरियापुर थाना बाजारखाला लखनऊ उम्र 35 वर्ष (गैंग सदस्य) के साथ गिरोह बनाकर आर्थिक, भौतिक व बुनियादी लाभ के उद्देश्य से अपराधों में संलिप्त रहता है।

इनका गैंग लूटपाट व चोरी व अन्य अपराधों से अपनी जीविका चलाता है तथा इनके कृत्य से लोगों में भय एवं आतंक व्याप्त है एवं इनके विरूद्ध कोई भी व्यक्ति गवाही देने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। जिस कारण इनका समाज में स्वतन्त्र रहना समाज के लिए घातक है।

अतः उक्त गैंग के गैंग प्रमुख व सदस्यों के अपराधिक गतिविधियो पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु अनुमोदितशुदा गैंगचार्ट के आलोक में उपरोक्त गैंग लीडर व सदस्यों के विरूद्ध उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 2/3 के अन्तर्गत मु0अ0सं0 231/2025 का अभियोग दिनांक 20.06.25 को थाना बंथरा पर पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना प्र0नि0 बिजनौर द्वारा की जा रही है। मुकदमा उपरोक्त में दिनांक 10.07.2025 को प्र0नि0 श्री राणा राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना बन्थरा की पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए गैंग सदस्य / अभियुक्त नवीन राजपूत पुत्र स्व.कमलेश कुमार निवासी मुजफ्फरनगर चौधरी बेहा थाना काकोरी लखनऊ उम्र 25 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही है।

03-पूछताछ का विवरणः-

अभियुक्त (गैंग सदस्य)नवीन राजपूत पुत्र स्व, कमलेश कुमार निवासी ग्राम मुजफ्फरनगर चौधरीखेडा थाना काकोरी लखनऊ उम्र करीब 26 वर्ष गैंग के मुखिया अमित वर्मा पुत्र स्व राकेश वर्मा निवासी 351के17 दरियापुर थाना बाजारखाला लखनऊ के साथ मिलकर लूटपाट चोरी डकैती करते हैं।

04-अनावरित अभियोग-

1.मु0अ0सं0 231/2025 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियमथाना बंथरा लखनऊ

05-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1-नवीन राजपूत पुत्र स्व, कमलेश कुमार निवासी ग्राम मुजफ्फरनगर चौधरीखेडा थाना काकोरी लखनऊ उम्र करीब 26 वर्ष।

06-आपराधिक इतिहासः-

1-मु0अ0सं0 90/2024 धारा 395/412 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बन्थरा लखनऊ,
2- मु0अ0सं0 224/2023 धारा 379 भादवि थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव,
3- मु0अ0सं0 231/2025 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बन्थरा लखनऊ।

07-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1- उ0नि0 अशोक कुमार गौड़ थाना बंथरा लखनऊ,
2- उ0नि0 कृष्णमुरारी पटेल थाना बंथरा लखनऊ,
3-उ0नि0 शशांक मिश्रा थाना बंथरा लखनऊ,
4-हे0का0 विनोद कुमार सिंह थाना बंथरा लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.-1636
दिनांक-10.07.2025

जोन- उत्तरी/ थाना-इटौंजा

❖ शांति व्यवस्था भंग करने वाले 02 नफर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

01-सक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 10.07.2025 को उ0नि0 रमेश सिंह यादव मय हमराह पुलिस बल के कस्बा अमानीगंज मे मौजूद थे। ग्राम पण्डितपुरवा मे विवाद की सूचना प्राप्त होने पर मौके पर पहुंचकर देखा कि दो व्यक्ति 1. जगन्नाथ पुत्र भन्ते निवासी ग्राम पण्डितपुरवा थाना इटौंजा लखनऊ उम्र करीब 55 वर्ष 2. मनोज पुत्र जगन्नाथ निवासी ग्राम पण्डितपुरवा थाना इटौंजा लखनऊ उम्र करीब 35 वर्ष मुकदमा वादिनी निवासिनी ग्राम पण्डितपुरवा थाना इटौंजा लखनऊ द्वारा पंजीकृत कराये गये मुकदमे को लेकर वाद विवाद कर रहे थे।

जगन्नाथ व मनोज उपरोक्त को समझाने बुझाने का प्रयास किया गया तो मानने को तैयार नही हुआ और अधिक उत्तेजित होकर आमादा फौजदारी होने लगा।

शान्ति, सुरक्षा व कानून व्यवस्था को बनाये रखने के लिए व किसी संज्ञेय अपराध घटित होने के दृष्टिगत 1. जगन्नाथ 2.मनोज उपरोक्त का चालान अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस मे करते हुये मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

02-अपराध कारित करने का तरीका-

अभियुक्तगण द्वारा शांति व्यवस्था भंग करने का कृत्य किया गया है।

03-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण—

1. जगन्नाथ पुत्र भन्ते निवासी ग्राम पण्डितपुरवा थाना इटौंजा लखनऊ उम्र करीब 55 वर्ष व्यवसाय - कृषि
2. मनोज पुत्र जगन्नाथ निवासी ग्राम पण्डितपुरवा थाना इटौंजा लखनऊ उम्र करीब 35 वर्ष व्यवसाय -कृषि

04-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम थाना इटौंजा

1. उ0नि0 रमेश सिंह यादव
2. उ0नि0 सैय्यद मो0 रईश
3. का0 रोहिताश कुमार

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.-1635
दिनांक- 10.07.2025

जोन- उत्तरी / थाना- जानकीपुरम

- **थाना जानकीपुरम पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वारण्टी को किया गया गिरफ्तार ।**

01-सक्षिप्त विवरण:-

मा0न्यायालय द्वारा निर्गत गैरजमानतीय वारंट वाद श्रीमान चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट), के वाद सं0-2480/19 अ0सं0-423 /18 धारा 135 ई0सी0 एक्ट थाना जानकीपुरम लखनऊ से सम्बन्धित वांरटी/अभियुक्त शिवलाल गौतम पुत्र परागीलाल निवासी- मडियांव गांव चमरही टोला, जानकीपुरम लखनऊ उम्र करीब 58 वर्ष को हिरासत पुलिस में लिया गया।

वारंटी उपरोक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय से अग्रिम एंव विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1.शिवलाल गौतम पुत्र परागीलाल निवासी- मडियांव गांव चमरही टोला, जानकीपुरम जनपद लखनऊ उम्र करीब 58 वर्ष ।

04- सम्बन्धित वाद–

1. वाद सं0-2480/19 अ0सं0-423 /18 धारा 135 ई0सी0 एक्ट थाना जानकीपुरम लखनऊ

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम थाना जानकीपुरम

1. उ0नि0 अकित कुमार
2. म0उ0नि0 रोशनी दूवे
3. हे0का0 दुर्ग विजय सिंह

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1632
दिनांक-10.07.2025

जोन- दक्षिणी/थाना-कृष्णानगर

- **किशोरी/वयस्क लड़कियो को बहला फुसला कर शादी व अनैतिक व्यापार हेतु क्रय/विक्रय करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह का किया गया पर्दाफाश।**
- **गिरोह के 02 शातिर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्त संतोष साहू के विरूद्ध 25 हजार का इनाम किया गया था घोषित।**
- **अभियुक्त उक्त कार्य के लिए 15-20 सिम व मोबाइल बदल बदल कर अपराध कारित करता है।**
- **थाना कृष्णानगर एवं सर्विलांस सेल पुलिस उपायुक्त दक्षिणी की संयुक्त कार्यवाही।**

कार्यवाही विवरण-

थाना कृष्णानगर एवं सर्विलांस टीम, पुलिस उपायुक्त दक्षिणी की संयुक्त कार्यवाही के फलस्वरूप किशोरी/वयस्क लड़कियों को बहला फुसला कर शादी हेतु बिक्री करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के 02 शातिर अभियुक्तगण 1**. डबलू साहू उर्फ संतोष साहू** उम्र-45 वर्ष पुत्र गम्भीरे साहू C/O किराये का मकान ग्राम महेवा, पश्चिम पट्टी, थाना नैनी, जनपद प्रयागराज व 261/4/, नयापुरा भावापुरा, जी.टी.बी. नगर, थाना करैली, जनपद प्रयागराज, कालिंदीपुरम् थाना धूमनगंज, जनपद प्रयागराज **मूल पता- गोलथरा रोड बैरियर के पास दुर्गा मंदिर प्रजापति मोहल्ला, थाना सब्जीमंडी, जनपद सहडोल, राज्य मध्य प्रदेश, 2. मनीष भण्डारी उर्फ मोनू पुत्र हेमराज भण्डारी** निवासी रामभरोसे कालोनी गली नं0 1 म0नं0 02 सब्जी मण्डी के पास ब्यावर, थाना साकेतनगर, जिला ब्यावर, राजस्थान, वार्ड संख्या 40, कृष्णा कालोनी, अजमेर, राजस्थान उम्र करीब 44 वर्ष को हिरासत पुलिस में लेकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

- दिनांक 30.06.2025 को वादी द्वारा उनकी पुत्री उम्र 16 वर्ष का घर से बिना किसी को बताये कहीं चले जाने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0-314/2025 धारा 137(2) भा0न्या0 सं0 थाना कृष्णानगर पंजीकृत कराया गया।
- मुकदमा उपरोक्त में अपहता/पीड़िता की सकुशल बरामदगी एवं अभियोग के शीघ्र अनावरण हेतु 06 टीमें गठित की गयी जिसमें सर्विलांस सेल पुलिस उपायुक्त दक्षिणी को भी लगाया गया इन टीमों द्वारा सीसीटीवी फुटेल, मैनुअल व टैक्निकल साक्ष्यों की सहायता से घटना में संलिप्त 02 नफर अभियुक्तगण की सुरागरसी पतारसी कर आज दिनांक 10.07.2025 को **अभियुक्त संतोष साहू को अवध चौराहा एवं अभियुक्त मनीष भण्डारी को थाना परिसर से** हिरासत में लेकर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

- अभियुक्त संतोष साहू उर्फ डब्लू साहू उपरोक्त की गिरफ्तारी के दौरान एक अन्य किशोरी उम्र लगभग 15 वर्ष निवासिनी रायबरेली बरामद हुई है, पीड़िता द्वारा शादी कराने हेतु ले जाने की बात बताई जा रही है। बरामद पीडिता के परिजनों की जानकारी कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

मॉड्स आपरेंडी-

अभियुक्त संतोष साहू उर्फ डब्लू साहू द्वारा रेलवे स्टेशन/बस स्टैण्ड आदि स्थानों पर घूमघूम कर अकेली किशोरी/वयस्क लड़कियों को चिन्हित कर उन्हे बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाकर शादी व अनैतिक व्यापार हेतु अभियुक्त मनीष भण्डारी उर्फ मोनू को **50 हजार रुपये** में बेच देता था । उक्त कार्य के लिए 15-20 सिम व मोबाइल बदल बदल कर अपराध कारित करता है। अभियुक्त पुलिस से बचने के लिए बार बार अपना पता भी बदलता रहता है ।

अभियुक्त से पूछताछ का विवरणः-

- अभियुक्तों से पूछताछ में ज्ञात हुआ कि वे वर्ष-2012 में एक दूसरे के सम्पर्क आये थे और सन्तोष साहू उर्फ डब्लू द्वारा वर्ष 2012 से अब तक कई लड़कियो को बहला फुसला कर ले जा कर मनीष भण्डारी उर्फ मोनू को विक्रय कर देता था ।
- मनीष भण्डारी उर्फ मोनू ने बताया कि क्रय लडकियों को शादी हेतु अन्य लोगों को बेच दी जाती हैं । वादी मुकदमा की पुत्री को दिनांक 28.06.2025 को थाना क्षेत्र अन्तर्गत सीएमएस स्कूल के पास मिला और उसकी धार्मिक भावनाओं को जानकर उसे दिनांक 30.06.2025 को चारबाग रेलवे स्टेशन लखनऊ बुलाया पीडिता के पहुंचने पर वह पीड़िता को बहला फुसला कर अपने साथ बस से कानपुर ले कर गया तथा वहां से जरूरी सामान लेने की बात कहकर अपने घर ले जाकर रखा उसके बेचने के लिए सहडोल, कटनी मध्य प्रदेश लेकर गया अपने किसी परिचित के घर पर रखा ।
- अपहृता को दिनांक 06.07.2025 को मनीष भण्डारी उर्फ मोनू के पास ले जाकर 50 हजार रुपये में बेंच दिया। अभियुक्त संतोष साहू उर्फ डब्लू द्वारा अपहृता को मनीष भण्डारी उर्फ मोनू के पास छोडकर जाते समय अपहृता द्वारा रो-रो कर विरोध किये जाने पर मनीष भण्डारी उर्फ मोनू ने पीडिता को वापस कर दिया और दी गयी धनराशि में से 45000/- रुपये वापस लेकर शेष 5000/- रुपये संतोष साहू को देते हुए पीडिता को संतोष साहू के साथ भेज दिया ।
- दिनांक 08.07.2025 को साक्ष्यों के आधार पर मु0अ0सं0-314/2025 से सम्बन्धित अपहृता/पीड़िता को मानकनगर रेलवे स्टेशन से बरामद कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।
- पूछताछ में यह भी प्रकाश मे आया है कि अभियुक्त संतोष मूलरूप से मध्य प्रदेश का निवासी है एवं बार-बार अपना पता बदल कर घटना कारित करता है ।

अनावरित अभियोग-

1. मु0अ0सं0-314/2025 धारा 137(2) भा0न्या0सं0 व बढोत्तरी धारा 87/143(4)/144(1)/98/99/ भा0न्या0सं0 व 5(ग)/5(घ) अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम थाना कृष्णानगर लखनऊ ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता/व्यवसायः-

- डबलू साहू उर्फ संतोष साहू उम्र-45 वर्ष पुत्र गम्भीर साहू C/O किराये का मकान ग्राम महेवा, पश्चिम पट्टी, थाना नैनी, जनपद प्रयागराज व 261/4/, नयापुरा भावापुरा जी.टी.बी नगर थाना करैली जनपद प्रयागराज, कालिंदीपुरम्, थाना धूमनगंज, जनपद प्रयागराज मूल पता- गोलथरा रोड बैरियर के पास ,दुर्गा मंदिर, प्रजापति मोहल्ला, थाना सब्जीमंडी, जनपद सहडोल, राज्य मध्य प्रदेश।
- **शिक्षा-** 03th

2. मनीष भण्डारी उर्फ मोनू पुत्र हेमराज भण्डारी निवासी रामभरोसे कालोनी गली नं0 1 म0नं0 02 सब्जी मण्डी के पास ब्यावर, थाना साकेतनगर, जिला ब्यावर, राजस्थान, वार्ड संख्या 40, कृष्णा कालोनी, अजमेर, राजस्थान उम्र करीब 44 वर्ष **शिक्षा-**08th

- **व्यवसाय-**भण्डारी टूर एण्ड ट्रवैल्स में वाहन चलाना।

आपराधिक इतिहास-

- **अभियुक्त संतोष साहू उर्फ डबलू साहू के विरुद्ध कुल 06 आपराधिक मामले दर्ज हैं-**

1. मु0अ0सं0-069/2016 धारा 363/366 भादवि0 थाना लालापुर जनपद प्रयागराज।
2. मु0अ0सं0-262/2019 धारा-342/363/366 भादवि0 व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी।
3. मु0अ0सं0-316/2019 धारा-344/364 ए/370/392/411/419/420/467/468/471 भादवि0 व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना खुल्दाबाद जनपद प्रयागराज।
4. मु0अ0सं0-127/2022 धारा 363/366ए/370/420/467/468/471/120बी/306/376(2)ई/34 भादवि0 4/6/17 व 7/8 पाक्सो एक्ट व 3(2)5 एससी एसटी एक्ट थाना सिहवा जनपद धमतरी राज्य छत्तीसगढ़ ।
5. मु0अ0सं0-217/2022 धारा 364/363/366ए/376डी/506 भादवि0 व 5जी/6/7/8 पाक्सो एक्ट थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।
6. मु0अ0सं0-314/2025 धारा 137(2) भा0न्या0सं0 व बढोत्तरी धारा 87/143(4)/144(1)/98/99/ भा0न्या0सं0 व 5(ग)/5(घ) अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम थाना कृष्णानगर लखनऊ ।

- **अभियुक्त मनीष भण्डारी उर्फ मोनू के विरुद्ध कुल 02 आपराधिक मामले दर्ज हैं-**

1. मु0अ0सं0-127/2022 धारा 363/366ए/370/420/467/468/471/120बी/306/376(2)ई/34 भादवि0 4/6/17 व 7/8 पाक्सो एक्ट व 3(2)5 एससी एसटी एक्ट थाना सिहवा जनपद धमतरी राज्य छत्तीसगढ़ ।
2. मु0अ0सं0-314/2025 धारा 137(2) भा0न्या0सं0 व बढोत्तरी धारा 87/143(4)/144(1)/98/99/ भा0न्या0सं0 व 5(ग)/5(घ) अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम थाना कृष्णानगर लखनऊ ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना कृष्णानगर एवं सर्विलांस सेल पुलिस उपायुक्त दक्षिणी की संयुक्त पुलिस टीम।

नोट-पुलिस आयुक्त, दक्षिणी द्वारा गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को 25 हजार रूपये के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1631
दिनांक-10.07.2025

जोन- उत्तरी / थाना मलिहाबाद

- **07 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ अश्लील कृत्य करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **थाना मलिहाबाद पुलिस टीम ने त्वरित कार्यवाही करते हुए शातिर आरोपी को मात्र 10 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार।**

01-सक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 10.07.2025 को थाना मलिहाबाद जनपद लखनऊ में वादिनी मुकदमा की पुत्री उम्र 07 वर्ष ग्राम रूपनगर स्थित ट्यूबबेल में नहाने गयी थी वही पर अभियुक्त सूचित यादव पुत्र सुशील यादव नि0 ग्राम माधवपुर थाना मलिहाबाद जनपद लखनऊ मौजूद था ट्यूबबेल नहाते समय अभियुक्त द्वारा नाबालिग लडकी का मुँह दबाकर कमरे में ले जाकर वादिनी मुकदमा की पुत्री के साथ दुष्कर्म किया गया, जिसके सम्बन्ध में वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर एक प्रार्थना पत्र दिया गया प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर **मु0अ0सं0 157/2025 धारा 65(2) बीएनएस 5m/6 पोक्सो एक्ट व 3(2)v sc/st act** थाना मलिहाबाद लखनऊ बनाम सूचित यादव पुत्र सुशील यादव नि0 ग्राम माधवपुर थाना मलिहाबाद जनपद लखनऊ के विरूद्ध पंजीकृत किया गया।

अभियुक्त की तलाश/दबिश दी गयी तो मुखबिर खास की सूचना प्राप्त हुयी की उक्त अभियुक्त बदौरा मोड के पास कही जाने के फिराक में है उक्त मुखबिर की बात का विश्वास कर अभियुक्त सूचित यादव को नियमानुसार बदौरा मोड से आज दिनांक 10.07.2025 को समय 07.30 बजे गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

02-अपराध कारित करने का तरिका

अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करना

03-अभियुक्त का नाम व पता-

1. सूचित यादव पुत्र सुशील यादव नि0 ग्राम माधवपुर थाना मलिहाबाद जनपद लखनऊ उम्र 20 वर्ष (व्यवसाय- ट्रैक्टर चलाता है)।

04-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम थाना मलिहाबाद

1.अति0 निरीक्षक सुरेन्द्र प्रसाद मिश्रा

2.वरि0उ0नि0 संजय यादव

3.उ0नि0 सलामुल्लाह खाँ

4.का0 रवि यादव

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1633
दिनांक 10/07/2025

जोन- दक्षिणी/ थाना- मोहनलालगंज

- **धोखाधड़ी व गबन करने वाले शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।**
- **थाना मोहनलालगंज पुलिस की सफलता।**

01-कार्यवाही :-

श्रीमान पुलिस आयुक्त लखनऊ महोदय के निर्देशानुसार अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस उपायुक्त दक्षिणी के कुशल पर्यवेक्षण व अपर पुलिस उपायुक्त तथा सहायक पुलिस आयुक्त मोहनलालगंज के कुशल मार्गदर्शन एवं प्रभारी निरीक्षक मोहनलालगंज के नेतृत्व में की पुलिस टीम द्वारा धोखाधड़ी व गमन करने वाले शारित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

02-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 17/04/2025 को शिकायतकर्ता श्री नीलाम्बर झा पुत्र गणेश झा नि0 राजीवनगर घोसियाना तेलीबाग थाना पीजीआई लखनऊ का अभियोग **मु0अ0स0 124/2025 धारा 409/420/120बी भादवि मोहनलालगंज मे पंजीकृत है।** जिसमें शिकायतकर्ता का आरोप है कि मैं अपनी पत्नी मिन्नी झा के नाम पर भूमि स्थित मऊ 1500 वर्ग फिट प्रमोद कुमार उपाध्याय तथा विनोद कुमार उपाध्याय से दिनांक 16/04/2019 बैनामा लिया था जिसका कार्यालय पताः H.R. Infra Vision Pvt. Ltd 1/44 Rashmi khand opp. Eldeco complex, Bangla Bazar Rai Bareilly Road Lucknow है।

मुझे उक्त भूमि पर अभी तक कब्जा नहीं दिया गया है। मैं उस समय फौज में था और लखनऊ कम आना जाना रहता था इसलिए मेरे साथ धोखाधड़ी की गयी थी। इस प्रकार के कुल 19 अभियोग मोहनलालगंज में पंजीकृत हुए थे। **दिनांक 15/06/2025 को धोखाधड़ी करने वाले गैंग का सरगना प्रमोद उपाध्याय को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।**

विवेचना से पाया गया कि अभियुक्त मदनराम पुत्र विश्वनाथ निवासी ग्राम खरौनी थाना बांसडीह जनपद बलिया H.R. Infra Vision Pvt. Ltd कम्पनी का एडिशनल डायरेक्टर है तथा मदनराम भी प्रमोद कुमार उपाध्याय व विनोद कुमार उपाध्याय के साथ मिलकर कम्पनी के माध्यम से थाना मोहनलालगंज में पंजीकृत कुल 6 अभियोगो में पीड़ितों के साथ धोखाधड़ी किया है। जिसके पश्चात मदनराम की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किया जा रहा था।

दिनांक 09/07/2025 को अभियुक्त मदनराम उपरोक्त को ग्राम राजा गांव खरौनी जनपद बलिया से गिरफ्तार किया गया तथा अपराध से अर्जित धन से खरीदी गई कम्पनी के नाम इनोवा क्रिस्टा बरामद किया गया।

03-पूछताछ विवरण-

अभियुक्त मदनराम द्वारा बताया गया कि प्रमोद कुमार उपाध्याय व विनोद कुमार उपाध्याय मेरे मिलने वाले है तथा मेरे गांव के रहने वाले है इन लोगों ने एच0के0 इन्फ्राविजन कम्पनी बनायी थी। जिसमे प्रमोद कुमार उपाध्याय व विनोद कुमार उपाध्याय ने मुझसे कहा था कि हम लोग कम्पनी बना रहे है तुम भी हमारी कम्पनी में सम्मिलित हो जाओ काफी अच्छा फायदा होगा। जिसके पश्चात मैं एडिशनल डायरेक्टर के पद पर कम्पनी में कार्य करता थाऔर जो भी फायदा मिलता हम लोग बांट लेते थे।

04-मॉड्स ऑपरेंडी (अपराध की कार्यप्रणाली)-

अभियुक्त द्वारा सीधे-साधे एवं भोले-भाले व्यक्तियों को लक्ष्य बनाकर उन्हें आकर्षक एवं लुभावने ऑफर के माध्यम से प्लॉट खरीदने के लिए प्रेरित किया जाता था। अभियुक्त स्वयं को प्रतिष्ठित रियल एस्टेट कंपनी का प्रतिनिधि दर्शाते हुए प्लॉट की बिक्री की बात करता था। जब पीड़ितों द्वारा बताए गए प्लॉट की रजिस्ट्री करवा ली जाती थी, तो उन्हें बाद में यह ज्ञात होता था कि संबंधित भूमि अस्तित्व में ही नहीं है, अथवा उस पर अभियुक्त का कोई वैध स्वामित्व नहीं है। परिणामस्वरूप, पीड़ितों को न तो भूमि का कब्जा मिल पाता था और न ही निवेश की गई धनराशि मिल पाती थी। धोखाधड़ी उजागर होने के बाद अभियुक्त द्वारा पीड़ितों को आश्वासन दिया जाता था कि जल्द ही धनराशि वापस कर दी जाएगी, परंतु वह लगातार टालमटोल करता रहता था।

विशेष रूप से अभियुक्त द्वारा सेना एवं अर्द्धसैनिक बलों के कर्मचारियों को निशाना बनाया जाता था, क्योंकि उनकी ड्यूटी संबंधी व्यस्तताओं के चलते वे केवल एक-दो बार ही भूमि का निरीक्षण कर पाते थे। इस परिस्थिति का फायदा उठाते हुए अभियुक्त उन्हें कोई भी फर्जी या विवादित भूमि दिखाकर रजिस्ट्री करवा देता था। इस तरह अभियुक्त ने योजनाबद्ध तरीके से अनेक लोगों को धोखा देकर आर्थिक लाभ अर्जित किया है

05-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. मदन राम पुत्र विश्वनाथ निवासी राजा गांव खरौनी थाना बासडीह जनपद बलिया उम्र 55 वर्ष

06-बरामदगी-

- इनोवा क्रेस्टा कार न0- UP-32-MX-9415

अभी तक अभियुक्तों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही-

- **अभियुक्तगणों के कुल 19 खाते फ्रीज कराये गये जिसमें करीब 15 लाख रूपये फ्रीज है।**
- **अभियुक्तगण व कम्पनी के कुल 4 लग्जरी गाड़ियां बरामद की गयी ।**
  - इनोवा क्रेस्टा कार न0- UP-32-MX-9415
  - टाटा सफारी न0-UP 60 X 0022
  - स्वीफ्ट डिजायर न0-UP 32 HE 0022
  - बोलेरो न0- UP 32 LE 6297

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.-1637

दिनांक- 10.07.2025

आपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत थाना- तालकटोरा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए हत्या के मामले मे संलिप्त 02 अभियुक्तो को दोषसिद्ध कराते हुए मा0न्यायालय से 10 वर्ष के कठोर कारावास और 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाने में सफलता प्राप्त की गयी।

01-कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश महोदय के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के दृष्टिगत, श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय, श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर व संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय महोदय श्री अमित वर्मा द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण व अपराधियों को माननीय न्यायालय मे अधिकाधिक सजा कराये जाने के दृष्टिगत माननीय न्यायालय मे सघन पैरवी के क्रम में पुलिस उपायुक्त पश्चिमी व अपर पुलिस उपायुक्त पश्चिमी के निर्देशन में सहायक पुलिस आयुक्त बाजारखाला व प्रभारी निरीक्षक थाना तालकटोरा कुलदीप दुबे के नेतृत्व में में थाना स्थानीय के पैरोकार के द्वारा प्रभावी पैरवी व अथक प्रयास किया गया। थाना तालकटोरा पुलिस ने हत्या जैसे जघन्य अपराध में संलिप्त अभियुक्त को दोषसिद्ध कराते हुए मा0न्यायालय से **अजीवन कारावास के कठोर कारावास और दस-दस हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाने में सफलता प्राप्त की है।**

02-फैसला का विवरण-

थाना तालकटोरा पर पंजीकृत **मु0अ0सं0 758/08 व 773/08 धारा 302/34/394/411/120 बी भादंवि व 4/25 A.ACT** से संबंधित सत्र परीक्षण संख्या 345/09,346/09, इस प्रकरण में अभियुक्त 1.शमीम पुत्र अली 2.चाँद पुत्र कमरूद्दीन निवासीगण 355/373, थड़ी, आलमनगर, थाना-तालकटोरा, लखनऊ को मा0 न्यायालय ADJ-07 जनपद लखनऊ महोदय द्वारा सुनवाई के बाद दिनांक 09.07.2025 को अजीवन कारावास व दस-दस हजार रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। इस प्रकरण में थाना तालकटोरा पुलिस ने पैरवी में जो पेशेवर दक्षता और कर्तव्यनिष्ठा का प्रदर्शन किया, उसके परिणामस्वरूप पीड़ित को न्याय दिलाने में सफलता प्राप्त हुई है।

03- अभियुक्तों का विवरण-

1. शमीम पुत्र अली
2. चाँद पुत्र कमरूद्दीन **निवासीगण** 355/373,थड़ी,आलमनगर,थाना-तालकटोरा,लखनऊ

04-पैरवीकर्ता-

1. प्रभारी निरीक्षक थाना- तालकटोरा कुलदीप दुबे
2. का0 सूर्य पाल यादव